



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230234
CG-DL-E-08102021-230234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3795]
No. 3795]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/ आश्विन 15, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ ASVINA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4129(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के कि.मी. 110 से कि.मी. 112.800 (अंगोला-गोटी खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग मिनी विधानसभा धारवाड़ 580008 को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर

देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के कि.मी. 110 से कि.मी.112.800 (अंगोला-गोटी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: धारवाड़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कलघटगी					
गांव का नाम: दास्तीकोप्पा					
1	124/4+5+7/F	निजी	ड्राई	0.0050600(हेक्टेयर)	0.0050600
2	130	सरकारी	ड्राई	0.0132800(हेक्टेयर)	0.0132800
3	132/2A	निजी	ड्राई	0.0050600(हेक्टेयर)	0.0050600
4	133/1	सरकारी	ड्राई	0.0284500(हेक्टेयर)	0.0284500
5	133/2	सरकारी	ड्राई	0.0151800(हेक्टेयर)	0.0151800
6	133/4	सरकारी	ड्राई	0.0088500(हेक्टेयर)	0.0088500
7	134/3	निजी	ड्राई	0.0101200(हेक्टेयर)	0.0101200
8	160/3	निजी	ड्राई	0.0037900(हेक्टेयर)	0.0037900
9	169/1	निजी	ड्राई	0.0290900(हेक्टेयर)	0.0290900
10	169/2	निजी	ड्राई	0.0657600(हेक्टेयर)	0.0657600
11	222A/1	निजी	ड्राई	0.1517600(हेक्टेयर)	0.1517600
12	222A/2A	निजी	ड्राई	0.0328800(हेक्टेयर)	0.0328800
13	222A/3	सरकारी	ड्राई	0.0739800(हेक्टेयर)	0.0739800
14	222A/4	सरकारी	ड्राई	0.0607000(हेक्टेयर)	0.0607000
15	222B	सरकारी	ड्राई	0.0252900(हेक्टेयर)	0.0252900
16	223/2	सरकारी	ड्राई	0.0132800(हेक्टेयर)	0.0132800
17	223/4	सरकारी	ड्राई	0.0303500(हेक्टेयर)	0.0303500

18	237/1A	सरकारी	ड्राई	0.0050600(हेक्टेयर)	0.0050600
19	237/1B	सरकारी	ड्राई	0.0164400(हेक्टेयर)	0.0164400
20	237/2	सरकारी	ड्राई	0.0278200(हेक्टेयर)	0.0278200
21	237/3	सरकारी	ड्राई	0.0379400(हेक्टेयर)	0.0379400
22	237/4	सरकारी	ड्राई	0.0505900(हेक्टेयर)	0.0505900
23	237/5	सरकारी	ड्राई	0.0164400(हेक्टेयर)	0.0164400
24	238	निजी	ड्राई	0.0980100(हेक्टेयर)	0.0980100
25	255A /1	सरकारी	ड्राई	0.0537500(हेक्टेयर)	0.0537500
गांव का नाम: रमानल					
1	24/5+6+7	सरकारी	ड्राई	0.0404700(हेक्टेयर)	0.0404700
2	25/1	सरकारी	ड्राई	0.0556400(हेक्टेयर)	0.0556400
3	29	सरकारी	ड्राई	0.1144500(हेक्टेयर)	0.1144500
कुल				1.0895	1.0895

[फा. सं. NH-63-KNT-2017-18-889/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2021

S.O. 4129(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building widening/four-lane with paved shoulder, etc.), maintenance, management, and operation of National Highway No. 63 in the stretch of land from Km. 110.000 to Km. 112.800 (Ankola-Gooty Section) in the district of DHARWAD in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer and Competent Authority National Highways Mini Vidhansoudha Dharwad 580008 in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km.110.000 to 112.800 (Ankola-Gooty section) of the National Highway No. 63 in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: DHARWAD			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kalghatgi					
Village: Dastikoppa					
1	124/4+5+7/F	Private	Dry	0.0050600(Hectare)	0.0050600
2	130	Government	Dry	0.0132800(Hectare)	0.0132800
3	132/2A	Private	Dry	0.0050600(Hectare)	0.0050600
4	133/1	Government	Dry	0.0284500(Hectare)	0.0284500
5	133/2	Government	Dry	0.0151800(Hectare)	0.0151800
6	133/4	Government	Dry	0.0088500(Hectare)	0.0088500
7	134/3	Private	Dry	0.0101200(Hectare)	0.0101200
8	160/3	Private	Dry	0.0037900(Hectare)	0.0037900
9	169/1	Private	Dry	0.0290900(Hectare)	0.0290900
10	169/2	Private	Dry	0.0657600(Hectare)	0.0657600
11	222A/1	Private	Dry	0.1517600(Hectare)	0.1517600
12	222A/2A	Private	Dry	0.0328800(Hectare)	0.0328800
13	222A/3	Government	Dry	0.0739800(Hectare)	0.0739800
14	222A/4	Government	Dry	0.0607000(Hectare)	0.0607000
15	222B	Government	Dry	0.0252900(Hectare)	0.0252900
16	223/2	Government	Dry	0.0132800(Hectare)	0.0132800
17	223/4	Government	Dry	0.0303500(Hectare)	0.0303500
18	237/1A	Government	Dry	0.0050600(Hectare)	0.0050600
19	237/1B	Government	Dry	0.0164400(Hectare)	0.0164400
20	237/2	Government	Dry	0.0278200(Hectare)	0.0278200
21	237/3	Government	Dry	0.0379400(Hectare)	0.0379400
22	237/4	Government	Dry	0.0505900(Hectare)	0.0505900
23	237/5	Government	Dry	0.0164400(Hectare)	0.0164400
24	238	Private	Dry	0.0980100(Hectare)	0.0980100
25	255A /1	Government	Dry	0.0537500(Hectare)	0.0537500
Village: Ramanal					
1	24/5+6+7	Government	Dry	0.0404700(Hectare)	0.0404700
2	25/1	Government	Dry	0.0556400(Hectare)	0.0556400
3	29	Government	Dry	0.1144500(Hectare)	0.1144500
Total				1.0895	1.0895

[F. No. NH-63-KNT-2017-18-889/3A]

RAJESH GUPTA, Director